प्रश्नोतर से संबंधित परिशिচट परिशिচट 'पच्चीस' प्रश्न सं. [क. 2462]

[12/3/2018] = [U D D D D D

मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, वल्लम भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 44-30/20-2/2017

भोपाल, दिनांक 13/ 2/2018

प्रति.

आयुक्त, लोक शिक्षण म0प्र0 भोपाल ।

विषय:-प्रदेश में नये स्कूल खोलने / उन्नयन करने संबंधी मापदण्ड निर्धारण बावत ।

विभागीय आदेश कमांक एफ 44-12/20-2/2006 दिनोंक 25.08.2006 को अधिकमित करते हुये मंत्रि-परिषद के निर्णय दिनोंक 03 जनवरी 2018 के अनुकम में ग्रामीण क्षेत्रों में नये हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल खोलने/उन्नयन किये जाने हेतु मापदण्ड संलग्न अनुसार निर्धारित किये जाते है।

संलग्न-परिशिष्ट एक

प्रभी 2/18

मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ. कमांक एफ 44-**3**0/20-2/20**5** प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 13-2-2018

- 1- निज सचिव मान.मंत्री / राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.शासन।
- 2— प्रमुख सचिव, म०प्र० शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल ।
- 3- अपर मुख्य सचिव, म०प्र० शासन, वित्त विभाग, भोपाल ।
- 4- प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, आदिम जाति अनुसूचित जाति कल्याण विभाग भोपाल।

प्र47 1372/18 उप अविव

मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

ज्यान जोवकारी क्ल जिला विभाव जाना-2

ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्कूल तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने के लिए नये मापदण्ड

(क) हाई स्कूल

अनिवार्यता

- 1. बसाहट से 5 कि.मी. की परिधि में हाई स्कूल की सुविधा न होना ।
- 2. पोषक माध्यमिक शालाओं की कक्षा 8 वीं में छात्रों की दर्ज संख्या 70 से कम न होना ।
- 3. उन्नत की जाने वाली शाला में कक्षा 8 वीं में नामांकन न्यूनतम 30 होना ।

प्राथमिकता

- 1. रकूल के लिए न्यूनतम 2 एकड़ जमीन होना । यह जमीन शासकीय हो सकती है या निजी दान से प्राप्त की जा सकती है ।
- 2. रूपये 10 लाख जन सहयोग उपलब्ध होने पर संबंधित स्थान को प्राथमिकता देना । (इस राशि में विधायक निधि/सांसद निधि से प्राप्त राशि भी शामिल होगी तथा यह राशि अधोसंरचना विकास पर व्यय की जाएगी ।)

(ख) हायर सेकेण्डरी स्कूल के मापदण्ड

अनिवार्यता

- 1. बसाहट से 8 कि.मी. की परिधि में हायर सेकेण्डरी स्कूल की सुविधा न होना ।
- 2. पोषक हाई स्कूल की कक्षा 10 वीं में छात्रों की दर्ज संख्या 100 से कम न होना।
- 3. उन्नत की जाने वाली शाला में कक्षा 10 वीं में नामांकन न्यूनतम 30 होना ।

प्राथमिकता

- 1. स्कूल के लिए न्यूनतम 2 एकड़ जमीन होना । यह जमीन शासकीय हो सकती है या निजी दान से प्राप्त की जा सकंती है।
- 2. रूपये 15 लाख जन सहयोग उपलब्ध होने पर संबंधित स्थान को प्राथमिकता देना । (इस राशि में विधायक निधि/सांसद निधि से प्राप्त राशि भी शामिल होगी तथा यह राशि अधोसंरचना विकास पर व्यय की जाएगी ।)

टीप/— किसी शर्त विशेष को विशेष परिस्थितियों में शिथिल करने का अधिकार विभाग को

उप सचिव

म०प्र०शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

क्रमान जोधकोरी क्रम क्रिका कि मार